NCV No: 2026/148

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

हनुमानराम पुत्र अचलाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 56/2026

अन्तर्गत धारा : – 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-3-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हनुमानराम पुत्र अचलाराम जाति मेघवाल निवासी राबड़िया तहसील झंवर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम राबड़िया के तहसील झंवर के खसरा संख्या 169 रकबा 3. 2375 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि का हिस्सा शुद्धिकरण करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार झंवर को जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक कोर्ट/2026/45 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम राबडिया के खाता संख्या 32 में ख.सं. 169 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय अर्जुनराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/8, डुंगरराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/8, देवाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/2, भीयांराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/8 हनुमानराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 19.12.1991 पु.सं. 01, जिल्द सं. 117, पृष्ठ संख्या 24, क्रम सं 4112 पर पंजीबद्व ब`चान दस्तावेज में ग्राम राबडिया के ख.सं. 169 रकबा 20 बीघा का बैचान खातेदार कमरूदीन उर्फ कम्मुखां पुत्र इमाम खां जाति मुसलमान निवासी राबडिया से डुंगरराम, भीयांराम, हनुमानराम पुत्र अचलाराम, अर्जुनराम पुत्र देवाराम, देवाराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी राबडिया के नाम बैचान किया हुआ है। उक्त पंजीबद्व बैचान दस्तावेज में खरीदकर्ताओं के नाम रकबा 20 बीघा का संयुक्त रूप से सहखातेदारी में बैचान किया हुआ है जबकि हिस्सा खोला हुआ नही है। नामांतकरण संख्या 176 बैचान के जरिये डुंगरराम, भीयांराम, हनुमानराम पिता अचलाराम, अर्जुनराम पिता देवाराम, देवाराम पिता मंगलाराम के नाम से 20 बीघा का संयुक्त रूप से सहखातेदारी में नामांतकरण दर्ज किया हुआ है तथा सभी खातेदारान के क्रयशुदा हिस्से का कहीं उल्लेख नही है, सभी पांच क्रय करने वाले खातेदारान का नाम ही इन्द्राज है। उक्त पंजीबद्व दस्तावेज एंव नामांतकरण संख्या 176 के आधार पर ग्राम राबडिया के खसरा संख्या 169 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में सभी सहखातेदारो का बराबर हिस्सा अर्जुनराम पिता देवाराम हिस्सा 1/5, डुंगरराम पिता अचलाराम हिस्सा 1/5, देवाराम पिता मंगलाराम हिस्सा 1/5, भीयांराम पिता अचलाराम हिस्सा 1/5, हनुमानराम पिता अचलाराम हिस्सा 1/5 खातेदारान का हिस्सा शुद्धि किया जाना उचित बताया है।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पंजीबद्व बैचान दस्तावेज के आधार पर निष्पादित नामान्तकरण संख्या 176 बेचान के जरिये खरीदकर्ताओं के नाम रकबा 20 बीघा भूमि का संयुक्त रूप से सहखातेदारी में बैचान से दर्ज किया हुआ है जबकि नामान्तकरण में हिस्सा खोला हुआ नही है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रैकर्ड में हिस्सा शुद्धिकरण करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत पोषणीय होने से हिस्सा शुद्धिकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैकर्ड दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम राबड़िया के तहसील झंवर के खसरा संख्या 169 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि की जमाबंदी दिनांक 16.02.2026 के अनुसार राजस्व रैकर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारों का बराबर हिस्सा 1/5–1/5 शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

हंसमुख कुमार आर. ए. एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी